दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनॉक 30.08.2014 की कार्यवृत्त

समय : अपराह्न 3–30 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुरेन्द्र दूबे	सदस्य
3.	प्रो0 एम0सी0गुप्ता	सदस्य
4.	प्रो0 फिरतू राम	सदस्य
5.	प्रो0 जनार्दन	सदस्य
6.	डॉ0(श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	डॉ0 रुसीराम महानन्दा	सदस्य
8.	डॉ0 अजय सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
10.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 रामहित त्रिपाठी	सदस्य
12.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
13.	श्री अशोक कुमार अरविन्द	सचिव
14.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	विशेष आमंत्रित
15.	प्रो0 ए0पी0 शुक्ला	विशेष आमंत्रित

बैठक में वित्त अधिकारी श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया तथा नये कुलसचिव जी का समस्त सदस्यों से परिचय कराया। तत्पश्चात् बैठक में कार्यसूची पर विचार किया गया –

विन्दु नं0 1 –पैसिफिक कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी, गोरखपुर के प्रकरण पर राजभवन से प्राप्त पत्र एवं छात्रों की माँग के क्रम में विद्यार्थियों की समस्याओं के सम्बन्ध में गठित जाँच समिति की संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय : परिषद ने विस्तृत विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिए –

(क) बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) / बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) पाठ्यक्रम एवं अन्य समस्त पैरा मेडिकल कोर्सेज, फिजियोथिरेपी सहित उ0प्र0 राज्य चिकित्सा संकाय (U.P. State Medical Faculty) के नियमों / प्रावधानो के अन्तर्गत चिकित्सा संकाय में

परिचालित किया जाय। इस पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम समिति (B.O.S.) इसी संकाय में गठित किया जाय। इस क्रम में राजभवन से प्राप्त परिनियम में आवश्यक संशोधन करा लिया जाय।

(ख) बी0एस–सी0 (पैथालॉजी)/बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) पाठ्क्रम एवं फिजियोथिरेपी पाठ्यक्रम में सत्र 2012–13 तक प्रवेशित छात्रों की परीक्षा करा ली जाय। इस सन्दर्भ में माननीय कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन को इस सन्दर्भ में पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

(ग) सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–4447/71–3–05/141/96/05 दिनांक 14.10.2005 के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार पाठ्यक्रम के अध्यादेश (Ordinance) में बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) चार वर्षीय पाठ्यक्रम रखा गया है, जिसमें 3 वर्ष Academic Calander एवं चतुर्थ वर्ष में लघुशोध (Dissertation) एवं छः माह का Internship शामिल है। चतुर्थ वर्ष में ग्रैन्ड वाइवा (Grand Viva) एवं Practical का प्रावधान अध्यादेश में नहीं है, लेकिन महाविद्यालय ने तीन वर्षीय एकेडेमिक कलेण्डर, चतुर्थ वर्ष में लघु शोध एवं ग्रैण्ड वाइवा व प्रेक्टिकल रखे हैं। अतः सदन ने यह निर्णय लिया कि अब चतुर्थ वर्ष से Grand Viva एवं Practical हटा लिये जाये एवं जिनका Grand Viva एवं Practical हो चुके हैं एवं मार्कशीट जारी नहीं है उनके चतुर्थ वर्ष की मार्कशीट में इनके मार्क्स न जोड़े जायँ।

वर्तमान में प्रचलित अध्यादेश के निहित प्रावधानों के अनुसार चार वर्ष पूर्ण होने की दशा में ही डिग्री प्रदान की जा सकती है। साथ ही किसी पाठ्यक्रम के मध्य में पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय प्रचलित अध्यादेश में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसा कि जॉच समिति ने प्रस्तावित किया है, सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। साथ ही आगे संचालित होने वाले पाठ्यक्रम का अध्यादेश उ0प्र0 राज्य चिकित्सा संकाय के द्वारा जारी नियमों के तहत बनवा कर ही अग्रेत्तर पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाय।

(घ) बी0एस–सी0 पैथालॉजी एवं बी0एस–सी0 एम0एल0टी एक ही पाठ्यक्रम है। इस आशय का पत्र उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा जारी किया गया है तथा निदेश दिया गया कि छात्रों को डिग्री बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) कर दिया

जाय। चूँकि यू0जी0सी0 ने बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) का नाम बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) रखा गया है। अतः स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने उक्त नाम से डिग्री दिये जाने हेतु अधिकृत किया है। एतद्विषयक अध्यादेश 2013–14 से लागू है, ऐसी स्थिति में बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) डिग्री वर्ष 2013–14 से प्रवेशित छात्रों हेतु लागू मानी जायेगी, लेकिन पूर्व प्रवेशित छात्रों के बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) पाठ्यक्रम के आगे स्टार (*) लगाकर शासनादेश इंगित कर दोनों डिग्रियों की समानता स्पष्ट कर दिया जाय।

(च) विश्वविद्यालय द्वारा बी0एस–सी0 पैथालॉजी हेतु बनाया गया अध्यादेश दिनांक 08.03.2007, जिसके फीस के कालम में उद्धृत है कि "Rs. 35,000/- per year or as per Govt. Norms from time to time." इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव के पत्र सं0–5549/25/08 दिनांक 25.08.2011 द्वारा पैरामेडिकल डिग्री निजी क्षेत्र हेतु रू0 4000/– प्रति माह यानी रू0 48000/– प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है जिसमें भोजन एवं निवास व्यय शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य फीस का उल्लेख नहीं है। महाविद्यालय द्वारा भेजे गये शुल्क विवरण में शिक्षण शुल्क रू0 35,000/– एवं अन्य शुल्क रू0 10,000/– अन्य मदों का उल्लेख करते हुए नये शासनादेश आने तक छात्रों से अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। महाविद्यालय द्वारा शुल्क ढाँचे (Fee-structure) में किसी भी तरह के परिवर्तन को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

पैसिफिक कालेज आफ फिजियोथिरेपी, गोरखपुर ने शुल्क वृद्धि के लिए विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया, अतः सत्र 2012–13 के पूर्व ली गई अतिरिक्त फीस को छात्रों को वापस करने हेतु महाविद्यालय को आदेशित किया जाय।

(छ) **(i)** विश्वविद्यालय द्वारा बी0एस–सी0 (पैथालॉजी)/बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) के निर्गत अंकपत्रों पर अंकित भिन्न–भिन्न नामांकन संख्या के सम्बन्ध में अंकपत्रों को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमाकर संशोधित नामांकन वाले अंकपत्र दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

(ii) व्यक्तिगत रूप से किसी छात्र के अंकपत्र न प्रदान करने के सम्बन्ध में अपने प्रमाणपत्रों के साथ लिखित आवेदन करने पर नियमानुसार निस्तारण किया जाय।

(iii) अध्यादेश के विपरीत दो पेपर से अधिक पेपर में अनुत्तीर्ण होने पर महाविद्यालय द्वारा परीक्षाफार्म अग्रसारण कर अगली कक्षा की परीक्षा में बैठाने के बाद दिये गये प्रमोशन (अग्रेत्तर कक्षा में) सम्बन्धी प्रकरण पर छात्र द्वारा लिखित आवेदन करने पर ऐसे समस्त प्रकरणों की परीक्षा समिति में रखकर शीघ्र निस्तारित करा लिया जाय।

छात्रों की उपरोक्त तीनों समस्याओं के लिये परीक्षा विभाग में एक पटल सहायक नामित कर दिया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दु –

बिन्दु नं0 1 –सदन ने सर्वसम्मति से ''राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण उन समस्त छात्रों को पुनः एक और मौका **'मर्सी इग्जाम'** के रूप में देने का निर्णय लिया, ताकि छात्र ''राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' प्रश्नपत्र क्लीयर न करने के कारण स्नातक की उपाधि से वंचित न हों। साथ ही परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि जहाँ तक सम्भव हो, प्रत्येक छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में ''राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' परीक्षा में अवश्य बैठें।

बिन्दु नं0 2 –कुलपति जी द्वारा आज दिनांक 30.08.2014 को आहूत वित्त समिति के निर्णयों से कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को अवगत कराया, जिससे सदन अवगत हुई।

कुलसचिव

कुलपति